राजस्थान सरकार

# कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक एफ–1(7)/सीटीएडी/स्वच्छ प्रस्ताव 2019–20/ दिनांक :

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.वि.प्र.)
जिला परिषद,
डूंगरपुर।

विषय : भवन रहित आंगनवाडी केन्द्रो के निर्माण की स्वीकृति।
प्रसंग : जिला कलक्टर, डूंगरपुर का पत्रांक एफ 40 (18) सामान्य/ 2020/3212 दिनांक 07.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग डूंगरपुर के पत्रांक 2601 दिनांक 07.12.2020 के क्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर के पत्रांक एफ 40 (18) सामान्य/ 2020/3212 दिनांक 07.12.2020 की छायाप्रति संलग्न भेजकर लेख है कि भवन रहित आंगनवाडी केन्द्रो के निर्माण हेतु इकाई लागत राशि रूपये 10.68 लाख का प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रति इकाई राशि रूपया 6.00 लाख का वहन किया जाएगा एवं शेष राशि महात्मा गांधी नरेगा से वहन किया जाना है।

प्रस्तावित 50 भवन रहित आंगनवाडी केन्द्रो के निर्माण हेतु टीएडी अंश की राशि रूपये 300.00 लाख शासन की निम्नांकित स्वीकृतियों में से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा. वि.प्र.) डूंगरपुर को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्रम संख्या | स्वीकृति संख्या | राशि (लाख रूपये में) |
|---|---|---|
| 1 | 29/2019–20 | 150.00 |
| 2 | 113/2019–20 | 150.00 |
| | योग | 300.00 |

इन कार्यो हेतु स्ट्रक्चरल डिजाईन, ले–आउट, ड्रॉईग एवं ऐलिवेशन आदि तथा तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना दिनांक 15.12.2020 तक कार्यकारी ऐजेन्सी पंचायत समिति से आवश्यक रूप से प्राप्त कर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करावे एवं अधोहस्ताक्षर कर्ता को अवगत करावे।

**माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा उक्त कार्यो का दिनांक 20.12.2020 को शिलान्यास किया जाना प्रस्तावित है।**

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवे।

–sd.
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)I.A.S.
आयुक्त

क्रमांक : यथोपरि 29784–802 दिनांक 10.12.2020
प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर ।
3. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस, डूंगरपुर।

कृ.प.उ.

5. अतिरिक्त जिला कलक्टर, डूंगरपुर।
6. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, डूंगरपुर।
7. उपायुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग डूंगरपुर को भेजकर लेख है कि जिला परिषद से समन्वय कर तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी करवावें।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सीमलवाडा/झोथरी/आसपुर/चिखली/बिछीवाडा/सागवाडा/दोवडा/डूंगरपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा को भेज कर लेख है कि शासन की स्वीकृति संख्या 29/2019–20 एवं 113/2019–20 में प्राप्त राशि रूपये 300.00 लाख मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) डूंगरपुर को हस्तांतरित करावे।
10. निदेशक मोनेटरिंग/कम्प्युटर शाखा कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितिय)

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721– 24 फेक्स : 0294–2428721
ई–मेल : comm.tad @ rajasthan.gov.in, Website www.tad.rajasthan.gov.in